

प्रेषक,

सुनील कुमार चौहान,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
30प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय विकास अभिकरण,  
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग

लखनऊ : दिनांक 19 जून, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में बाबू जी कल्याण सिंह, ग्राम उन्नति योजना के अंतर्गत सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1076/यूपीनेडा-एसएसएल/बजट/2024-25, दिनांक 04 जून, 2024 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में ऊर्जा विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश को अनुदान संख्या-70 के अंतर्गत बाबू जी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना के अंतर्गत सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना हेतु प्राविधानित धनराशि ₹0 22.50 करोड़ (रुपए बाइस करोड़ पचास लाख मात्र) में से प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 11.25 करोड़ (रुपए ग्यारह करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर व्यय करने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

#### नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- स्वीकृत धनराशि उपरोक्त योजना के अंतर्गत शासनादेश संख्या-754/87-अति0ऊ0 सो0वि0/2022, दिनांक 26 अगस्त, 2022 में उल्लिखित प्राविधानों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय की जायेगी।
- उक्त स्वीकृत धनराशि उसी मद में व्यय की जायेगी, जिसके लिये स्वीकृत की गयी है और इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। योजना पर किये जाने वाला व्यय स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा।
- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसी कार्य के लिये पूर्व में किसी अन्य योजनान्तर्गत/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही ये कार्य किसी अन्य कार्यक्रम की कार्य योजना में सम्मिलित है।
- कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।
- कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। इस संदर्भ में अधिकृत थर्ड पार्टी निरीक्षण को भी अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।
- द्विविरावृत्ति से बचने के लिए कार्य की वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
- अनुदान के कोषागार से आहरण हेतु बिल अनु सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।
- अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग समयबद्ध ढंग से शीघ्र पूर्ण कर लिया जाय। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं कार्य की भौतिक प्रगति के विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग/अतिरिक्त ऊर्जा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

स्रोत विभाग को उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके अतिरिक्त कार्य हेतु राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 02 माह में अर्थात् दिनांक 31 मई, 2025 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

9- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करवाया जायेगा।

10- यूपीनेडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

11- उक्त स्वीकृत धनराशि को आहरित/व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 तथा समय-समय पर जारी संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12- उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित/व्यय किए जाने के पूर्व निदेशक, यूपीनेडा द्वारा प्रश्रुगत कार्यक्रम/ योजना से संबंधित समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13- वर्तमान में अवमुक्त की जा रही धनराशि के कम से कम 80 प्रतिशत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा उक्त योजना की भौतिक प्रगति एवं वास्तविक आवश्यकता के सम्बन्ध में स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराए जाने पर ही अवशेष धनराशि अवमुक्त किए जाने पर विचार किया जा सकेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 11,25,00,000 ( रुपये ग्यारह करोड़ पच्चीस लाख मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 070 लेखा शीर्षक 2810021010304 बाबू जी कल्याण सिंह, ग्राम उन्नति योजना के अंतर्गत सोलर स्ट्रीट लाईटों की स्थापना मानक मद् 27 सडिसडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-21-X-2024-25-दिनांक 18-6-2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सुनील कुमार चौहान  
अनु सचिव

संख्या-33/2024/724(1)/001-87-01002-001-1-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित#-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
- (3) कोषाधिकारी, लखनऊ।
- (4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10
- (5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- (6) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, प्रयागराज।
- (7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुनील कुमार चौहान  
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।